


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या- 25/19-2020 (1)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
06/03/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्ररम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा-..... थाना नं0- 34, खाता संख्या- 21 प्लॉट संख्या- 74, रकबा- 0.37 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 166 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक- 20/03/2020 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </div>	

1
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

2/10

[Faint, illegible text]

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या-251/19-2020(1)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

बनाम..... श्री सुची

श्री सुची

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-..... थाना नं०-.....

34 खाता नं०-21 खेसरा नं०-74

रकबा-0.37.10 से संबंधित आपके नाम से ह० नं०-..... के पंजी II भाग
के पृष्ठ 166 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-20/03/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न

में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।
इसे सख्त ताकिद जानें।

06/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर


तिथि :-

स्थान :-

2-3 110

प्रतिवेद्य उपस्थिति: शरीर शक्ति प्रण: विद्युत् शक्ति की उपस्थिति
वेद्य/उपस्थिति वेद्य की उपस्थिति के द्वारा वेद्य शक्ति की उपस्थिति किन्ती उपस्थिति का उपस्थिति
उपस्थिति नहीं किन्ती उपस्थिति शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण:

उपस्थिति उपस्थिति की उपस्थिति शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण:
उपस्थिति की उपस्थिति शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण:
उपस्थिति शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण: शरीर शक्ति प्रण:


उपस्थिति शरीर शक्ति प्रण:
शरीर शक्ति प्रण:

100/2010

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रयत/जमाबंदी रयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरांसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

6/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर